न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 25/14/अपील
भंवरलाल पुत्रश्री किशनाराम जाति कुमावत निवासी मालियों की ढाणी तन लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलांट

बनाम

1. रूपाराम पुत्रश्री किशनाराम कुमावत निवासी मालियों की ढाणी तन लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. कोयली देवी } पुत्रियां श्री किशनाराम
3. कज्जीदेवी }
4. भंवरी देवी धर्मपत्नी श्री किशनाराम
   समस्त जाति कुमावत नि.गण मालियों की ढाणी तन लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. ग्राम पंचायत, लामियां जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, लामियां प.सं. दांतारामगढ जिला सीकर

–रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 240 दिनांक 'निल' द्वारा ग्राम पंचायत, लामियां तहसील दांतारामगढ (सीकर)

उपस्थिति– 1. श्री राजेन्द्रसिंह रिणवां वकील अपीलांट की ओर से
2. श्री आनन्द राड़ वकील रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से

निर्णय **दिनांक– 01.12.2014**

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 ता 4 की वंशावली निम्न प्रकार से है–

किशनाराम(फौत)
↓

भंवरलाल	रूपाराम	कोयलीदेवी	कज्जीदेवी	भंवरीदेवी
पुत्र–अपीलांट	पुत्र–रेस्पो. सं. 1	पुत्री–रेस्पो.सं. 2	पुत्री–रेस्पो.सं.3	पत्नी–रेस्पो.सं.4

ग्राम लामियां प.हल्का लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित भूमि पुराने खसरा नं. 367 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा, 364 रकबा 3 बिस्वा, 361 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 365 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, 366/446 रकबा 5 बीघा, 377 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा, 366 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा, 376 रकबा 16 बीघा किता 8 कुल रकबा 107 बीघा 11 बिस्वा अवस्थित रही है। जिसके नये खसरा नं. 1655 रकबा 0.04 है0, 1659 रकबा 0.11 है0, 1660 रकबा 0.73 है0, 1661 रकबा 0. 07 है0 किता 4 कुल रकबा 0.95 है0, भूमि खसरा नं. 1656 रकबा 0.04 है0 किता 1 कुल रकबा 0.04 है0 व भूमि खसरा नं. 1654 रकबा 0.62 है0, 1662 रकबा 1.56 है0,

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

1663 रकबा 0.63 है0, 1665 रकबा 0.56 है0 1666 रकबा 0.61 है0 किता 5 कुल रकबा 4.00 है0, खसरा नं. 1645 रकबा 0.10 है0, 1646रकबा 0.01 है0, 1647 रकबा 0.51 है0, 1648 रकबा 0.69 है0, 1649 रकबा 0.66 है0, 1651 रकबा 0.15 है0, 1652 रकबा 0.58 है0, 1653 रकबा 0.05 है0, 1654/1741 रकबा 0.20 है0, 1663/1742 रकबा 0.20 है0, 1664 रकबा 1.84 है0, 1680 रकबा 0.14 है0, 1681 रकबा 1.83 है0, 1682 रकबा 0.02 है0 किता 14 कुल रकबा 6.98 है0, खसरा नं. 1672 रकबा 0.44 है0, 1673 रकबा 0.07 है0, 1677 रकबा 0.67 है0, 1678 रकबा 1.40 है0, 1698 रकबा 0.13 है0, 1699 रकबा 0.88 है0, 1700 रकबा 0.70 है0, 1701 रकबा 0.02 है0, 1702 रकबा 0.04 है0, 1703 रकबा 0.03 है0, 1704/1755 रकबा 0.35 है0, 1705/1756 रकबा 0.15 है0, 1706 रकबा 0.42 है0, 1707/1757 रकबा 0.15 है0 किता 15 कुल रकबा 5.50 है0, खसरा नं. 1666/1776 रकबा 0.40 है0 1667 रकबा 1.16 है0, 1668 रकबा 0.20 है0, 1669 रकबा 0.68 है0, 1670 रकबा 0.51 है0, 1671 रकबा 0.41 है0, 1674 रकबा 0.41 है0, 1675 रकबा 0.58 है0, 1676 रकबा 0. 51 है0, 1679 रकबा 0.83 है0 किता 10 कुल रकबा 5.69 है0, खसरा नं. 1683 रकबा 1.19 है0, 1684 रकबा 0.90 है0, 1685 रकबा 0.05 है0, 1686 रकबा 0.06 है0, 1687 रकबा 0.21 है0, 1688 रकबा 0.48 है0, 1696 रकबा 1.16 है0 किता 7 कुल रकबा 4.05 है0 बने है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 ता 3 के पिता व रेस्पो. सं. 4 के पति स्व. किशनाराम पुत्र मांगाराम का 1/12 हक व हिस्सा पैत्रिक कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा रहा हैं उक्त किशनाराम का देहान्त दिनांक 30.06.1970 को हो चुका है जिसकी विरासत का ना.करण सं0 240 तत्कालीन समय में भरा गया। मद सं0 1 में वर्णित सजरा खानदान के मुताबिक उपरोक्त मृतक किशनाराम के हिस्से में से अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/60 हक व हिस्सा पैत्रिक होना चाहिए था, परन्तु उक्त 1/12 हिस्से के काबिज खातेदार/काश्तकार किशनाराम पुत्र गांगाराम की मृत्यु वर्ष 1970 में हो जाने पर उसकी विरासत का ना.करण सं. 240 सरपंच, ग्राम पंचायत, लामियां व रेस्पो. सं. 1 ने आपसी साजिश करके मात्र अकेले रेस्पो. सं. 1 के नाम से ही भर दिया गया जो अपीलांट के साथ घोर अन्याय है एवं विरूद्ध कानूनी है। ग्राम पंचायत, लामियां ने ना.करण भरते समय मृतक खातेदार के सभी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान को मध्य नजर रखते हुए ना.करण नहीं भरा गया एवं अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर प्रार्थी को उसके पैत्रिक हक व हिस्से की कृषि आराजियात से वंचित रखा है। अपीलाधीन ना.करण बाबत आज तक अपीलांट को जानकारी नहीं हो पाई। अपीलांट अपने पैत्रिक हक व हिस्से की कृषि संपदा पर सदैव से ही निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। आज से करीब 20 रोज पूर्व रेस्पो. सं. 1 ने अपीलांट को उसके हिस्से से बेदखल करने व बेचान करने की धमकी देकर एलानियां कहा कि यह जमीन तो संपूर्ण मेरे नाम से है आप इसको खाली करो तो अपीलांट ने हल्का पटवारी, लामियां से संपर्क किया व समस्त रिकार्ड की नकल दिनांक 14.07.2014 को मिलने पर अविलम्ब यह अपील पेश किया जाना लाजिम हुआ है। अपील पेश करने में हुआ विलम्ब जान बुझकर नहीं बल्कि रिकार्ड की जानकारी नहीं रहने से कानूनी अनभिज्ञाता की वजह से हुआ है जो कि क्षमा किये जाने योग्य है एवं इसके लिए अपीलांट द्वारा आवेदन दफा 5 अवधि परिसीमा अधिनियम के तहत अलग से पेश कर अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अपीलांट मृतक खातेदार किशनाराम का विधिक वारिस व

उतराधिकारी है। अपीलाधीन ना.करण तस्दीक करते समय सभी जायंदा वारिसान की सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है इसलिए अपीलाधीन ना.करण विधिक विरूद्ध व एकपक्षीय होने से निरस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अीलाधीन ना.करण सं. 240 दिनांक 'निल' को ग्राम पंचायत, लामियां तहसील दांतारामगढ द्वारा भरा गया है इसलिए माननीय न्यायालय को अपील हाजा सुनवाई का समुचित क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है। अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 ता 4 के हक व अधिकार एक समान ही है परन्तु वर्तमान में न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाने की वजह से इनको परफोर्मा रेसपो. पक्षकार बनाया गया हैं अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन ना.करण सं. 240 दिनांक 'निल' बतस्दीक ग्राम पंचायत, लामियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को निरस्त फरमाया जावें।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री आनन्द राड़ हाजिर हुए।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमियों में अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 ता 3 के पिता व रेस्पो. सं. 4 के पति स्व. किशनाराम पुत्र मांगाराम का 1/12 हक व हिस्सा पैत्रिक कब्जे काश्त रहा हैं उक्त किशनाराम का देहान्त दिनांक 30.06.1970 को हो चुका है जिसकी विरासत का ना.करण सं0 240 तत्कालीन समय में भरा गया। मद सं0 1 में वर्णित सजरा खानदान के मुताबिक उपरोक्त मृतक किशनाराम के हिस्से में से अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 ता 4 का प्रत्येक का 1/60 हक व हिस्सा पैत्रिक होना चाहिए था, परन्तु उक्त 1/12 हिस्से के किशनाराम पुत्र गांगाराम की मृत्यु वर्ष 1970 में हो जाने पर उसकी विरासत का ना. करण सं. 240 सरपंच, ग्राम पंचायत, लामियां व रेस्पो. सं. 1 ने आपसी साजिश करके मात्र अकेले रेस्पो. सं. 1 के नाम से ही भर दिया गया। ग्राम पंचायत, लामियां ने ना.करण भरते समय मृतक खातेदार के सभी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान के नाम ना.करण नहीं भरा गया एवं अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर प्रार्थी को उसके पैत्रिक हक व हिस्से की कृषि आराजियात से वंचित रखा है। उक्त ना.करण की जानकारी अपीलांट को रेस्पो. सं. 1 द्वारा धमकी दिये जाने से हुई एवं दिनांक 14.07.2014 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। विलम्ब को कन्डोन किये जाने हेतु दफा 5 मियाद परिसीमा अधि0 का आवेदन पेश किया गया है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर ना.करण सं. 240 निरस्त फरमाया जावें। इसके विपरीत वकील रेस्पो. सं. 1 ता 4 ने बहस के दौरान अपील आपतियां पेश नहीं की गई।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 240 दिनांक 'निल' के अवलोकन से स्पष्ट है कि विरासत का ना.करण अकेले रूपा पुत्र किशना के नाम भरा गया है। ग्राम पंचायत, लामियां द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 26.06. 2014 के अनुसार मृतक किशना के भंवरीदेवी पत्नी, भंवरलाल, रूपाराम पुत्रगण, कोयली देवी व कज्जीदेवी पुत्रियां वारिस है। अपीलांट द्वारा विलम्ब को कन्डोन करने हेतु शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसके सम्बन्ध में किसी तरह की आपति

व्यक्त नहीं की गई इसलिए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 240 दिनांक 'निल' ग्राम पंचायत, लामियां को खारिज किया गया है तथा मिसल तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड की जाकर निर्देशित किया जाता है कि मृतक किशनाराम के वारिसान के सम्बन्ध में समुचित जांच कर विधिवत ना.करण तस्दीक किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। मिसल बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 01.12.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़